राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि / नरेगा / वाकायो12–13 / 2011 जयपुर, दिनांक : 29 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पूरक वार्षिक कार्य योजना 2012–13 के संबन्ध में**

संदर्भ :– **विभागीय पत्रांक एफ1(1)ग्रावि / नरेगा / स्कीम / 2012 दिनांक 14.05.2012**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको अवगत कराया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.05.2012 को अधिसूचना जारी कर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 में संशोधन कर अनुमत कार्यों की सूची में विस्तार किया गया है तथा इसमें नये / अतिरिक्त कार्य सम्मिलित किये गये है।

इस प्रकार सम्मिलित नये / अतिरिक्त कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में भी कराया जा सकें, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्मिलित नये / अतिरिक्त कार्यों को योजनान्तर्गत कराए जाने हेतु वर्ष 2012–13 की पूरक वार्षिक कार्य योजना तैयार की जावे। पूरक वार्षिक कार्य योजना हेतु निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाये :–

1. दिनांक 04.05.2012 की अधिसूचना अन्तर्गत सम्मिलित नये / अतिरिक्त कार्य ही पूरक वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किए जावें।
2. कार्यों का चयन वार्ड सभा एवं ग्राम सभा के माध्यम से किए जाकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद से अनुमोदन कराया जावे।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सामग्री मद की लागत, ग्राम पंचायत की कुल परियोजना लागत की 40 प्रतिशत से अधिक नही हो।

भवदीय

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस